न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 224/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 धनाराम पुत्र चेलाराम जाति माली निवासी उदय नगर बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।		1 नरेन्द्र कुमार पुत्र हरखाराम जाति जाट निवासी जसोताणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण 2 महेन्द्रसिंह पुत्र चिमनसिंह बेनिवाल जाति जाट निवासी महावीर नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री नृसिंह सोलंकी, वकील प्रार्थी पक्ष।

आदेश

दिनांक 02/09/22

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा उदय नगर पटवार मण्डल बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2465/180 रकबा 07.09 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि में से 01.00 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये पंजीबद्ध बेचान दिनांक 12.04.2013 द्वारा विक्रय की थी। उक्त बेचान में उसके पड़ौसी स्पष्ट रूप से उतर में खेत खसरा संख्या 181 भूमि, दक्षिण में खसरा संख्या 2466/180 विप्रार्थी संख्या 01 की भूमि पूर्व में खसरा संख्या 2465/180 प्रार्थी की भूमि तथा पश्चिम में खसरा संख्या 542 (242) की भूमि अंकित थी। उक्त बेचान के संलग्न नक्शा भी प्रस्तुत कर पंजीबद्ध बेचान के समय प्रस्तुत किया था तथा तत्पश्चाल अप्रार्थी संख्या 01 को 01.00 बीघा भूमि पर कब्जा करवाया गया। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 181 पारित किया गया तथा नामान्तकरण की पुश्त पर उक्त भूमि का नक्शा अंकित होता है लेकिन नामान्तकरण भरते समय नक्शा नही बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त 01.00 बीघा भूमि को अप्रार्थी संख्या 02 को दिनांक 07.03.2014 को पंजीबद्ध बेचान करवाया गया, जिसका नामान्तकरण संख्या 186 स्वीकृत किया गया तथा नामान्तकरण की पुश्त पर किसी प्रकार का नक्शा नही बनाया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त बेचान ज़ो अप्रार्थी संख्या 01 को की थी जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल अनुसार है लेकिन उसकी तरमीम उक्त स्थान पर न की जाकर संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' अनुसार गलत तरमीम कर दी गई। लिहाजा प्रार्थी उक्त खसरा में बेचान के संलग्न परिशिष्ठ 'अ' अनुसार सही तरमीम करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौके पर कब्जा काश्त संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम शुद्ध करवाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा उदय नगर पटवार मण्डल बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

के खसरा संख्या 2465/180 रकबा 07.09 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न दस्तावेज यथा पंजीबद्ध बेचान दिनांक 12.04.2013 व 07.03.2014, नामान्तकरण संख्या 181 व 186, जमाबन्दी, नक्शा परिशिष्ठ 'अ' व परिशिष्ठ 'ब' तथा चालू जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों के आधार पर वर्तमान तरमीम अशुद्ध होने से उसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा उदय नगर पटवार मण्डल बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2465/180 रक़बा 07.09 बीघा व खसरा संख्या 2535/180 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर को आदेशित किया जाता है कि पुनः मौका जांच कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 02/09/22 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर